

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1541 / ग्यारह-9(183) / 11-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(102)-2013
लखनऊ::दिनांक:: 21 नवम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन "फ्री डेज" ब्रांड की सेनेटरी नेपकिन के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।